



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092026-275953
CG-DL-E-03092026-275953

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4663]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948

No. 4663]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2026

का.आ. 4850(अ).—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसरण में, भारत सरकार एतद्वारा प्रो. (डॉ.) शाहिद अख्तर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग के सदस्य के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पुनः नामनिर्दिष्ट करती है। एक वर्ष की उक्त अवधि पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 7-20/2014-एमसी]

के. एम. प्रफुल्लचंद्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION**Department of Higher Education****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2026

S.O. 4850(E).—In pursuance of sub-section (2) of section 3 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005), the Government of India hereby re-nominates Prof. (Dr.) Shahid Akhter as Member of the National Commission for Minority Educational Institutions, for a period of one year or till further orders, whichever is earlier. The period of one year will be from the date of assumption of charge.

[F. No. 7-20/2014-MC]

K. M. PRAPHULLACHANDRA SHARMA, Jt. Secy.